कार्यालय अधिशाषी अभियनता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड छबड़ा

क्र.सं. :–1089 दिनांक :–29.12.2025

सेवा में,

श्रीमान उप वन संरक्षक

बारॉ

विषय :– Diversion of 2.27 ha. forest land for construction of road from Hinglot to Madnakheri in Rajasthan in Baran Forest Division

(Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015)

संदर्भ :– शासन सचिव (वन), राजस्थान सरकार का पत्र क्रमांक प.1(74)वन/2015 दिनांक 22.11.2024

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 22 के क्रम में ।

महोदय,

उक्त प्रस्ताव के क्रम में लेख हैं कि छबड़ा कुम्भराज सड़क के मध्य हिंगलोट बांध के वर्ष 2004 में निर्माण के कारण उक्त मार्ग पर आवागमन बंद हो गया । उक्त मार्ग के बन्द हो जाने से छबड़ा तहसील के अनेक गाँव व मध्यप्रदेश सीमा को जोड़ने वाला स्टेट हाइवे मार्ग पूर्णतया बंद हो गया । जिसके फलस्वरूप वर्ष 2008 में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बांध के डाउन स्ट्रीम से स्वीकृत सड़क हिंगलोट से मदनाखेड़ी वाया हरिपुरा का निर्माण कार्य किया गया कार्य लगभग पूर्ण होने पर सड़क के मध्य वन भूमि आने के कारण वन विभाग द्वारा सड़क का वन भूमि प्रत्यावर्तन कर अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता बताई गई है। उक्त के क्रम में सड़क निर्माण हेतु 2.27 हेक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के क्रम में पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेब पोर्टल पर प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/10911/2015 को इस खण्ड द्वारा रजिस्टर किया गया।

उपरोक्त प्रस्ताव के क्रम में दिनांक 03.09.2020 द्वारा भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति उपरान्त कार्य जन उपयोगी होने के कारण दिनांक 18.8.2023 को अरण्य भवन जयपुर कार्यालय में Review of work pending due to forest clearance of PWD Baran Project के दौरान निर्णय में उक्त कार्य का निस्तारण दण्डात्मक राशि 3,44,801 की गणना श्रीमान उप वन संरक्षक के कार्यालय के पत्र क्रमांक 5774 दिनांक 05.09.2023 के अनुसार कर डिमाण्ड द्वारा राशि जमा कराने का निर्णय लिया गया था। कार्यालय उप वन संरक्षक बारॉ द्वारा उक्त के क्रम में दिनांक 12.01.2024 को जारी डिमाण्ड का भुगतान विभाग द्वारा 21.02.2024 को जमा करा दिया गया था तथा उक्त के क्रम में समस्त दस्तावेज विभाग द्वारा 4 प्रतियों में 09.09.2024 को उप वन संरक्षक कार्यालय को भिजवा दी गई थी। उक्त प्रस्ताव को जन उपयोगी के आधार पर उक्त प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति जारी करने के कृपा करें।

(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सावर्जनिक निर्माण विभाग, खण्ड छबड़ा

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

86

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004

क्रमांक एफ 14(PWD)एफसीए/प्रमुवसं/ 7328 दिनांक 28-08-2023

बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 18.08.2023 को 11:30 AM सुश्री शिखा मेहरा, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में जिला बारां के शाहबाद क्षेत्र में वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरणों में प्रगति के संबंध में समीक्षात्मक बैठक उनके कक्ष में आयोजित की गई। जिसमें निम्नांकित अधिकारियों ने हिस्सा लिया:–

1. श्री महेश गुप्ता, मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
2. श्री दीपक कुमार गुप्ता, उप वन संरक्षक, बारां।
3. श्री दिनेश कुमार गुप्ता, उप वन संरक्षक, एफ0सी0ए0 कार्या0हाजा
4. श्री एम.एम. सिंघल, अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
5. श्री हरि प्रसाद मीना, अधिशाषी अभियंता, PWD, शाहाबाद।
6. श्रीमती प्रियंका मीणा, अधिशाषी अभियंता, PWD, वन विभाग सेल।
7. श्रीमती सांतवाना सिंह, सहायक अभियंता, PWD, वन विभाग सेल।

सर्वप्रथम उप वन संरक्षक एफ0सी0ए0 ने अवगत कराया गया कि बारां जिले के शाहबाद खण्ड से वन भूमि प्रत्यावर्तन के परिवेश –। पर कुल 32 प्रकरण इस कार्यालय को प्राप्त हुए है। जिनमें 12 प्रकरणों में अंतिम स्वीकृति, 11 प्रकरणों में सैद्धान्तिक स्वीकृति एवं 9 प्रकरण प्रक्रियाधीन है। विधिवत स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों की समीक्षा की आवयश्कता नही होने एवं अन्य प्रकरणों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिए गये:–

1. प्रकियाधीन 9 प्रकरणों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है

S.N.	Proposal no	Name of Proposal	Category	forest land	applied on	Current status
1	FP/RJ/ROAD/9251/2015	Construction of Road from Kedarkui to Muhal	Road	4.3	10.01.2015	Pending at DFO/DCF
2	FP/RJ/ROAD/40677/2020	construction of widening and strengthening of bhanwargarh to nahargarh road(MDR-47) 0/475to 19/0	Road	3.893	19.09.2020	Pending at DFO/DCF
3	FP/RJ/ROAD/150784/2022	Paraniya to Chattarganj road	Road	3.73	21.09.2022	Pending at DFO/DCF
4	FP/RJ/ROAD/6958/2014	Road Work From Bichi to Rampur Upreti	Road	2.68	8.09.2014	Pending at DFO/DCF
5	FP/RJ/ROAD/34310/2018	Construction and widening of ramgarh mata ji parikrma road	Road	9.06	18.09.2019	Pending at DFO/DCF
6	FP/RJ/ROAD/34657/2018	Construction of road chorakhari to nayagoun via maheshpur	Road	1.872	30.08.2019	Pending at Nodal officer
7	FP/RJ/ROAD/30083/2017	Construction of shahbad to rajpur road	Road	4.0	29.12.2017	Pending at Nodal officer
8	FP/RJ/ROAD/34416/2018	construction of road from ganjan to sunwas	Road	3.425	30.08.2019	Pending at Nodal officer
9	FP/RJ/ROAD/34417/2018	Construction of road from Dikwani to gadar ishartori	Road	6.21	30.08.2019	Pending at Nodal officer

उपरोक्त के कम में उप वन संरक्षक बारां एवं उप वन संरक्षक एफ0सी0ए0 कार्या0 हाजा0 को निर्देशित किया गया कि प्राप्त प्रकरणों को एक सप्ताह में प्रोसेस कर आवयश्क कार्यवाही करें एवं यूजर ऐजेन्सी को निर्देशित किया गया कि पुराने प्रस्ताव जिनमें सडक निर्माण किये जाने की आवयश्कता नही हो (उन प्रकरणों में जिनमें वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उलंघन नही हुआ है) उन्हे विदड्रा किये जाने की कार्यवाही अमल में लायी जावे।

2. वे प्रकरण जिनमें सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी हो चुकी है:– 12 प्रकरणों में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी हो चुकी है किन्तु पूर्ण पालना अभी भी बकाया है।

Scanned with CamScanner

S.N.	Proposal no	Name of Proposal	Category	forest land	applied on	Current status
1	FP/RJ/ROAD/6954/2014	Road work from Jalwara to Kishanpura	Road	2.96	08.09.2014	IP granted on 23.8.2016
2	FP/RJ/ROAD/6956/2014	Road work from Nehroopur to Jhiri	Road	3.2	19.09.2020	IP granted on 4.8.2016
3	FP/RJ/ROAD/6982/2014	Road work from Gordhanpura to Gatta	Road	2.22	7.09.2014	IP granted on 5.2.2016
4	FP/RJ/ROAD/6988/2014	Road work from Ramgarh kalapatta to Karbala Laxmipura	Road	2	8.09.2014	IP granted on 1.10.2018
5	FP/RJ/ROAD/6994/2014	Road from Khandela to halawni	Road	2.05	8.09.2014	IP granted on 04.8.2016
6	FP/RJ/ROAD/6996/2014	Road from Bhanwargarh to Ranwasi	Road	2.5	8.09.2014	IP granted on 27.12.18
7	FP/RJ/ROAD/6997/2014	Road from Kasbathana to Bmangaon	Road	5.2	8.09.2014	IP granted on 23.08.16
8	FP/RJ/ROAD/6999/2014	Road from Dkonia to Talawara	Road	7.5	8.09.2014	IP granted on 4.08.16
9	FP/RJ/ROAD/7000/2014	Road from Gordhanpura to Kalimati	Road	2.8	8.09.2014	IP granted on 4.08.16
10	FP/RJ/ROAD/7127/2014	Road from Mamlilaxmipura to Patpadi	Road	1.14	13.09.2014	IP granted on 19.01.21
11	FP/RJ/ROAD/8746/2014	Road from Rajpur Benta to Isatori	Road	2.97	18.12.2014	IP granted on 04.08.16

उक्त के संबंध में सर्व सहमति से निम्नांकित निर्णय लिये गये:–

1. क0सं0 7 पर अंकित प्रस्ताव में सडक निर्माण आवयश्क नही होने के कारण पूर्व में सैद्वान्तिक स्वीकृति निरस्त किये जाने के प्रस्ताव में स्मरण पत्र क्षेत्रीय कार्यालय को जारी किया जावे।
2. क0सं0 2 एवं 8 में वर्तमान दरों पर उप वन संरक्षक द्वारा डिमांड नोट जारी किये जा चुके है जिन्हे नोडल अधिकारी द्वराअनुमोदित किया जा चुका है। यूजर ऐजेन्सी एक सप्ताह में राशि जमा करायी जाकर अनुपालना उप वन संरक्षक को प्रस्तुत करेगें।उप वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक शीघ्र पालना को अग्रेषित करेगें।
3. क0सं0 3 में उप वन संरक्षक बारां 2 दिवस में डिमांड नोट जारी करेगें एवं यूजर ऐजेन्सी अग्रिम कार्यवाही पूर्ण किय जाना सुनिश्चित करेगी।
4. अन्य प्रकरणों में जिनमें वन संरक्षण अधिनियम 1980का उलंघ्न हो चुका है उनमें वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अतर्गत जारी निर्देशिका 2019 के पैरां 1.21 के अनुसार कार्यवाही पूर्ण करेगें एवं तद्नुसार ही मांग पत्र जारी करेगे उक्त कार्यवाही 15 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करेगें।

अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

बैठक कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

क्रमांक एफ 14(PWD)एफसीए/प्रमुवसं/ 7329-32 दिनांक 28-08-2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
2. उप वन संरक्षक, बारां।
3. श्री एम.एम. सिंघल, अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
4. श्री हरि प्रसाद मीना, अधिशाषी अभियंता, PWD, शाहाबाद।

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, छबड़ा

क्र.स. 633 दिनाँक :- 09/09/2021

सेवा में,

श्रीमान उपवन संरक्षक

बारॉं

विषय :- Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road from Hinglot to Madnakheri

प्रसंग :- Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015 की सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्रांक 8B/Raj./06/35/2015/FC/857 Dt. 03.09.2020 के क्रम में

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित विषयांकित प्रस्ताव में वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा–2 में Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road from Hinglot to Madnakheri हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति हेतु बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है।

शर्त संख्या	बिन्दुवार शर्तों का विवरण	पालना रिपोर्ट का विवरण
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	शर्त सं. 25 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा उपर उल्लिखित शर्तों की पूर्ति पर राज्य सरकार के अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, वन (संरक्षण) अधिनियम की धारा–2 के अनुसार, केन्द्र सरकार की अंतिम/चरण –द्वितीय मंजूरी 1980 प्रदान की जाये। सं. 1 की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा ।
2	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over to the user agency.	शर्त सं. 2 की अनुपालना में उक्त कार्य के लिये उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा आवश्यक गैर वन भूमि सौंपने के बाद ही वन भूमि पर कार्य किया जायेगा।
3	Compensatory afforestation shall be taken up by the forest Department over 2.27 ha equivalent non-forest land in (Compartment Khasra No. Not provided, Village Sorsan, Tehsil Anta, District Baran) at the cost of the user agency. As far as possible. A mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	शर्त सं. 3 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेंसी की लागत पर 2.27 हेक्टेयर समतुल्य गैर वन भूमि (कम्पार्टमेंट खसरा नम्बर 1173 प्रदान कर दिया गया है।, ग्राम सोरसन तहसील अन्ता जिला बारॉं) पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा जहाँ तक संभव हो। स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों का मिश्रण लगाया जाएगा और किसी भी प्रजाति की मोनोकल्चर से बचा जा सकता है।
4	The non-forest land has to be transferred and matated in favour of the State Forest Department.	शर्त सं. 4 की अनुपालना में गैर वन भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित और परिवर्तित कर दिया गया है। प्रति संलग्न है।
5	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintined for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	शर्त सं. 5 की अनुपालना में प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत और सीए भूमि पर यदि आवश्यक हो तो सर्वेक्षण, सीमांकन और स्थायी स्तम्भों के निर्माण की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा वन विभाग के पास अग्रिम रूप से जमा करा दी जायेगी तथा सीए को 10 वर्षो तक बनाए रखा जाएगा यदि इस योजना में आगामी वर्षो के लिए निर्धारित कार्यो के लिए अनुमानित लागत में यदि वृद्धि होती है तो एजेंसी द्वारा उक्त वृद्धि को जमा करा दिया जायेगा।

6	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 2.27 ha. Forest area to be diverted under this proposal ffom the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP(C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003. as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.	शर्त सं. 6 की अनुपालना में राज्य सरकार को 2.27 हेक्टेयर के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) राषि 2174160.60 चालान द्वारा दिनांक 21.02.2024 को जमा करा दी गई हैं। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 30.10.2022, 01.08.2023, 28.03.2008, 24.04.20087 के आदेष के अनुसार उपयोकर्ता एजेंसी से इस प्रस्ताव के तहत वन क्षेत्र को डायवर्ट किया जाना है। 09.05.2008 को आईए संख्या 566 में डब्ल्यूपी (सी) संख्या 202/1995 में और मंत्रालय द्वारा पंत्र संख्या 5–1/1998 एफसी ¼ihVhII½ दिनांक 18/09 के तहत जारी दिषा निर्देषों के अनुसार 2003 साथ ही इस संबंध में पत्र संख्या 5–2/2006 एफसी दिनांक 03/10/2006 और 5–3/2007–एफसी दिनांक 05/02/20091
7	Additional amount of the NPV of the diverted forest land if any becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee. Shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect	शर्त सं. 7 की अनुपालना में विषेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप दिए जाने के बाद डायवर्टेड वन भूमि की एनपीवी की अतिरिक्त राषि 854651.40 चालान द्वारा दिनांक 21.02.2024 को उपयोगकर्ता ऐजेन्सी द्वारा उपयुक्त राषि को जमा करा दिया गया है।
8	The complete compliance of the FRA. 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	शर्त सं. 8 की अनुपालना में एफआरए का पूर्ण अनुपालन 2006 संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से तैयार करवाकर संलग्न कर दिया गया है। प्रति संलग्न है।
9	User agency shall raise strip plantation on both sides and central verge of the road as per the IRC norms.	शर्त सं. 9 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा आईआरसी मानदंडो के अनुसार सड़क के दोनों किनारों ओर केंन्द्रीय कगार पर पट्टी वृक्षारोपण करा दिया जायेगा। परन्तु वृक्षारोपण का प्रावधान विभाग के तकमीने में नही लिया गया है।
10	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas / Forest Area.	शर्त सं. 10 की अनुपालना में संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्र में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे गति नियामक साइनेज उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा स्वयं के खर्चे पर लगा दिए जायेंगे।
11	The user agency shall provide suitable under over pass in Protected Area / Forest Area as per recommendations of CWLW / NBWL / FAC / REC.	शर्त सं. 11 की अनुपालना में उपयोग कर्ता एजेन्सी द्वारा सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिषों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अण्डर ओवर पास बना दिये जायेगें।
12	User Agency shall obtain Environmental Clearnace as per the Provisions of the Enviornmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	शर्त सं. 12 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेंसी यदि लागू होगी तो उपयोगकर्ता एजेन्सी पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम,1986 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त कर लेगी।
13	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	शर्त सं. 13 की अनुपालना में उपयोग कर्ता एजेन्सी द्वारा संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देषानुसार, परिवर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर जमीन पर उपयुक्त सीमांकित कर दिया गया है।
14	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	शर्त सं. 14 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का लेआउट प्लान नही बदला जायेगा।

15	No labour camp shall be established on the forest land.	शर्त सं. 15 की अनुपालना में प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नही लगाया जायेगा।
16	Sufficient firewood. Preferably the alternate fuel. Shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	शर्त सं. 16 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा पर्याप्त जलाऊ लकड़ी अधिमानतः वैकल्पिक ईंधन। श्रमिक को राज्य वन विभाग या वन विकास निगम या वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से खरीदने के बाद ही प्रदान किया जायेगा।
17	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work	शर्त सं. 17 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना कार्य के क्रियान्वयन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन हेतु वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त नये पथ का निर्माण बिना स्वीकृति के नही किया जायेगा।
18	The period of diversion under this approval shall be co-teminus with the period of lease to the be granted in favour of the user agency or the project life. Whichever is less.	शर्त सं. 18 की अनुपालना में इस अनुमोदन के तहत डायवर्जन की अवधि उपयोगकर्ता एजेंसी या परियोजना जीवन के पक्ष में दिए जाने वाले पट्टे की अवधि के साथ सहवर्ती होगी जो भी कम हो
19	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	शर्त सं. 19 की अनुपालना में उपयेगकर्ता एजेंन्सी द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना प्रस्ताव में निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा।
20	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without priour approval of Govt. of india.	शर्त सं. 20 उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा डायवर्ट की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि को किसी भी परिस्थिति मे सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति को हस्तांतरित नही किया जायेगा।
21	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act. 1980 and action would be taken as per the Moff&CC Guideline F.No. 11-42-2017-FC dt 29/01/2018.	शर्त सं. 21 की अनुपालना मे उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा इनमे से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन(संरक्षण) अधिनियम का उल्लंघन पाया जाता हैं तो 1980 एवं Moff&CC गाइडलाइन एफ नं. के अनुसार उपयोगकर्ता एजेन्सी के खिलाफ कार्यवाही की जा सकेगी। 11–42–2017 एफसी दिनाक 29.01.20181
22	No violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.	शर्त सं. 22 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा सबंधित डीएफओ से एफसीए प्रमाण पत्र का कोई उल्लंघन नही किया जायेगा।
23	Any other condition that the Ministry of Enviornment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation protection and development of forests & wildlife.	शर्त सं. 23 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना के तहत प्राप्त सभी धनराषि केवल ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) के माध्यम से कैम्पा फंड में स्थानान्तरित कर दी गयी है।
24	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred / deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/).	शर्त सं. 24 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा अनुपाल रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड कर दी जायेगी।
25	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	शर्त सं. 25 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा उपर उल्लिखित शर्तो की पूर्ति पर राज्य सरकार के अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, वन (संरक्षण) अधिनियम की धारा–2 के अनुसार, केन्द्र सरकार की अंतिम/चरण –द्वितीय मंजूरी 1980 प्रदान की जाये।

(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
नि० वि० छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारॉ

क्रमांक : दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– **Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road from Hinglot ot Madnakheri (Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 1 की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा ।

(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड-छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारॉ

दिनांक :

क्रमांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– **Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road from Hinglot ot Madnakheri (Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 2 की अनुपालना में उक्त कार्य के लिये उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा आवश्यक गैर वन भूमि सौंपने के बाद ही वन भूमि पर कार्य किया जायेगा।

(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड-छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारॉ

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– **Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road from Hinglot ot Madnakheri (Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 3 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेंसी की लागत पर 2.27 हेक्टेयर समतुल्य गैर वन भूमि (कम्पार्टमेंट खसरा नम्बर 1173 प्रदान कर दिया गया है।, ग्राम सोरसन तहसील अन्ता जिला बारॉ) पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा जहाँ तक संभव हो। स्थानीय स्वदेषी प्रजातियों का मिश्रण लगाया जाएगा और किसी भी प्रजाति की मोनोकल्चर से बचा जा सकता है।

((नरेन्द्र सिंह))
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड-छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारॉ

क्रमांक : दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– **Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road from Hinglot ot Madnakheri (Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 4 की अनुपालना में गैर वन भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित और परिवर्तित कर दिया जायेगा।

(सुरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

(सुरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड–छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारॉ

क्रमांक : दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– **Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road from Hinglot ot Madnakheri (Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 5 की अनुपालना में प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत और सीए भूमि पर यदि आवश्यक हो तो सर्वेक्षण, सीमांकन और स्थायी स्तम्भों के निर्माण की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा वन विभाग के पास अग्रिम रूप से जमा करा दी जायेगी तथा सीए को 10 वर्षो तक बनाए रखा जाएगा यदि इस योजना में आगामी वर्षो के लिए निर्धारित कार्यो के लिए अनुमानित लागत में यदि वृद्धि होती है तो एजेंसी द्वारा उक्त वृद्धि को जमा करा दिया जायेगा।

(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड–छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारॉ

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– **Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road from Hinglot ot Madnakheri (Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 6 की अनुपालना में राज्य सरकार को 2.27 हेक्टेयर के लिए षुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) राषि 2174160.60 चालान द्वारा दिनांक 21.02.2024 को जमा करा दी गई हैं। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 30.10.2022, 01.08.2023, 28.03.2008, 24.04.20087 के आदेष के अनुसार उपयोकर्ता एजेंसी से इस प्रस्ताव के तहत वन क्षेत्र को डायवर्ट किया जाना है। 09.05. 2008 को आईए संख्या 566 में डब्ल्यूपी (सी) संख्या 202/1995 में और मंत्रालय द्वारा पंत्र संख्या 5–1/1998 एफसी (पीटीII) दिनांक 18/09 के तहत जारी दिषा निर्देषों के अनुसार 2003 साथ ही इस संबंध में पत्र संख्या 5–2/2006 एफसी दिनांक 03/10/2006 और 5–3/2007–एफसी दिनांक 05/02/20091

(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारॉ

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– **Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road from Hinglot ot Madnakheri (Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 7 की अनुपालना में विषेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप दिए जाने के बाद डायवर्टेड वन भूमि की एनपीवी की अतिरिक्त राषि 854651.40 चालान द्वारा दिनांक 21.02.2024 को उपयोगकर्ता ऐजेन्सी द्वारा उपयुक्त राषि को जमा करा दिया गया है।

(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड-छबडा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारॉ

दिनांक :

क्रमांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– **Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road from Hinglot ot Madnakheri (Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 8 की अनुपालना में एफआरए का पूर्ण अनुपालन 2006 संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से तैयार करवाकर संलग्न कर दिया गया है।

प्रति संलग्न है।

((नरेन्द्र सिंह))
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
नि० वि० खण्ड–छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारॉ

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– **Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road from Hinglot ot Madnakheri (Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 9 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा आईआरसी मानदंडो के अनुसार सड़क के दोनों किनारों ओर केंन्द्रीय कगार पर पट्टी वृक्षारोपण करा दिया जायेगा। परन्तु वृक्षारोपण का प्रावधान विभाग के तकमीने में नही लिया गया है।

((नरेन्द्र सिंह))
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड-छबडा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारॉ

क्रमांक : दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– **Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road from Hinglot ot Madnakheri (Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 10 की अनुपालना में संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्र में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे गति नियामक साइनेज उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा स्वयं के खर्चे पर लगा दिए जायेंगे।

(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड–छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारॉ

क्रमांक : दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– **Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road from Hinglot ot Madnakheri (Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 11 की अनुपालना में उपयोग कर्ता एजेन्सी द्वारा सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अण्डर ओवर पास बना दिये जायेगें।

(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड–छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारॉ

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– **Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road from Hinglot ot Madnakheri (Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 12 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेंसी यदि लागू होगी तो उपयोगकर्ता एजेन्सी पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम,1986 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त कर लेगी।

(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड–छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारॉ

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– **Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road from Hinglot ot Madnakheri (Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 13 की अनुपालना में उपयोग कर्ता एजेन्सी द्वारा संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देषानुसार, परिवर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर जमीन पर उपयुक्त सीमांकित कर दिया गया है।

((नरेन्द्र सिंह))
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड–छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारॉ

क्रमांक : दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– **Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road from Hinglot ot Madnakheri (Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 14 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का लेआउट प्लान नही बदला जायेगा।

(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड–छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारॉ

क्रमांक : दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– **Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road from Hinglot ot Madnakheri (Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 15 की अनुपालना में प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नही लगाया जायेगा।

(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड–छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारॉ

क्रमांक : दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– **Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road from Hinglot ot Madnakheri (Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 16 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा पर्याप्त जलाऊ लकड़ी अधिमानतः वैकल्पिक ईंधन। श्रमिक को राज्य वन विभाग या वन विकास निगम या वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से खरीदने के बाद ही प्रदान किया जायेगा।

(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड–छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारॉ

क्रमांक : दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– **Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road from Hinglot ot Madnakheri (Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 17 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना कार्य के क्रियान्वयन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन हेतु वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त नये पथ का निर्माण बिना स्वीकृति के नही किया जायेगा।

(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड–छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारॉ

क्रमांक : दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– **Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road from Hinglot ot Madnakheri (Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 18 की अनुपालना में इस अनुमोदन के तहत डायवर्जन की अवधि उपयोगकर्ता एजेंसी या परियोजना जीवन के पक्ष में दिए जाने वाले पट्टे की अवधि के साथ सहवर्ती होगी जो भी कम हो

(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड–छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारॉ

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– **Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road from Hinglot ot Madnakheri (Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 19 की अनुपालना में उपयेगकर्ता एजेंन्सी द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना प्रस्ताव में निर्दिष्ट उद्देष्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा।

(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड–छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारॉ

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– **Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road from Hinglot ot Madnakheri (Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 20 उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा डायवर्ट की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि को किसी भी परिस्थिति में सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति को हस्तांतरित नही की किया जायेगा।

(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड–छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारॉ

क्रमांक : दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– **Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road from Hinglot ot Madnakheri (Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 21 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन(संरक्षण) अधिनियम का उल्लंघन पाया जाता हैं तो 1980 एवं **Moff&CC** गाइडलाइन एफ नं. के अनुसार उपयोगकर्ता एजेन्सी के खिलाफ कार्यवाही की जा सकेगी। 11–42–2017 एफसी दिनांक 29.01.2018

(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड–छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारॉ

क्रमांक : दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– **Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road from Hinglot ot Madnakheri (Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 22 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा सबंधित डीएफओ से एफसीए प्रमाण पत्र का कोई उल्लंघन नही किया जायेगा।

(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारॉ

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– **Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road from Hinglot ot Madnakheri (Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 23 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना के तहत प्राप्त सभी धनराषि केवल ई–पोर्टल (**https://parivesh.nic.in/**) के माध्यम से कैम्पा फंड में स्थानान्तरित कर दी गयी है।

(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड-छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारॉ

क्रमांक : दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– **Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road from Hinglot ot Madnakheri (Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 24 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड कर दी जायेगी।

(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड–छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारॉ

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– **Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road from Hinglot ot Madnakheri (Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 25 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा उपर उल्लिखित शर्तो की पूर्ति पर राज्य सरकार के अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, वन (संरक्षण) अधिनियम की धारा–2 के अनुसार, केन्द्र सरकार की अंतिम/चरण –द्वितीय मंजूरी 1980 प्रदान की जाये।

(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड–छबड़ा

TV No:- 694-66
Date :- 21/02/2024

Reference No.:50171849

Government Of Rajasthan
WAM Inner/outer sheet

Month/Year : Jan/2024

Department Code : 65 | Department Name : Public Works Department

Detailed Warn bill of : EX.EN. P.W.D. Div. CHHABARA(9086) | OfficeID : 9086

Bill For Works Payment : WAM Payment	Reference No : 3871651	Warn Reference No : #1/1 of 884790	
Division Name : PWD CHHABRA	Division Code : 116	Bill No : 50171849	
Date : 24/01/2024	Demand No : 44	DDOCode : 9086	
TAN : JDHE00491B	Object Head : 21	Budget Head : 3054-04-800-02-01/SF/V	
SF : 3028812.00 NonPlan : 0.00	NA : 0.00	ContigencyHead :	

To,
The Treasury/Sub Treasury Officer,CHHABRA
Please Order to pay ₹ 3028812 as per the claim contained in this bill

Sign of Clerk | Sign of DA | Sign of Divisional Officer

I certified that I have personally examined and satisfied myself about the guinness of claim that the claimed bill is strictly in accordance with rules and that the said parties/firm details mentioned in warn bills are correct and said parties/firm are entitled for such payment and this drawal is within the limites of online allotted budget/LC.

I certified that the compliance of directions/instructions of PWF & AR has been ensured for this bill.

Digitally signed by NARENDRA SINGH
Date: 2024.01.30 20:10:13 +05:30
Reason: NARENDRA SINGH

Sign (With Se n/Digital ESign of DDO

9414330683

Sr.No.	Name Address Mobile	Bank Name Account No. IFSC Code Branch Name	Invoice No. Invoice Date(In Case Of Supplier)	Gross Amt Net Amt	WAMID	Budget Head Deduction Amt
1	RAJASTHAN CAMPA JAIPUR 9414330683	UNION BANK OF INDIA 150856110911432 UBIN0996335 FCS BANGALORE	0 1/1/1900 12:00:00 AM	3028812.00 3028812.00	3871651	

Gross Amount Rs. 3028812.00 | B.T.Amount: Rs. | Net Amount:Rs. 3028812.00

Amount In Words : THIRTY LAKH TWENTY EIGHT THOUSAND EIGHT HUNDRED TWELVE Only

Digitally signed by NARENDRA SINGH
Date: 2024.01.30 20:10:14 +05:30
Reason: NARENDRA SINGH

Sign Of DDO with Sign/Digital ESign of DDO

For Accountant General Office

Admitted ₹
Objected ₹

Auditor | Supdt | Gaz.Officer

Treasury Voucher

No: | Date :

Pay ₹ : 3028812.00

(In Words) : THIRTY LAKH TWENTY EIGHT THOUSAND EIGHT HUNDRED TWELVE ONLY

B.T. Heads :

Total
(In Cash) ₹ : 3028812.00
(In Words) : THIRTY LAKH TWENTY EIGHT THOUSAND EIGHT HUNDRED TWELVE ONLY

Auditor | AAO-I/II | Treasury/Sub Treasury Officer ESign

Disclaimer : All contents related to this bill are provided by Head of Office/DDO and he/ she is solely responsible for it.
Site Courtsey National informatics centre, Rajasthan State Unit (http://paymanager.nic.in) Group Name:3054 ODR VR

Forward Time
Print Date & Time:30/01/2024 08:07 PM

Form R P W A 28

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Public Works Department, Jaipur

Bill No. & Date:

PayManager Ref. Id(s): **3871651**

BillRef No.: **1028**, Dated: **24/01/2024**

Division Name: **EX.EN. P.W.D. Div. CHHABARA**

Division Code: **9086**

HAND RECEIPT HR Payments for Govt Dept/Govt Agency

(Referred to in PWF&A Rules 418, 424, 436 and 438)

(To be used as a simple form of voucher for all miscellaneous payments and advances for which none of the special from 24 and 26 are suitable)

Work: **Hinglot to Madnakhedi via Haripura Bishankheda Road**

Vendor Name: **RAJASTHAN CAMPA**

Sanction/Autorization/BillNo: **8B/RAJ/06/35/2015/FC** Dated: **23/01/2024**

Reason: **N/a**

Bank AccountNo.- **150856110911432**

Bank IFSC Code: **UBIN0996335**

Total amount payable to the contractor or supplier In Figures: **30,28,812**
(In Words): **Rupees Thirty Lakh Twenty Eight Thousand Eight Hundreds Twelve Only**

Debit Heads / Payment From:

S No.	Head Code	Amount	Remarks
1	3054-04-800-02-01-21-V-P	3028812	WorkId: 177683

Deductions/Recoveries:

S No.	Head Code	Amount	Remarks

This Bill will break in following part(s) for PayManager (Fisrt column will be RefNo to pull it on PayManager)

Ref No.	Head Code	Amount Cr	Amount Dr	Remarks
3871651	3054-04-800-02-01-21-V-P		3028812	WorkId: 177683
	Payment Through Treasury	3028812		

Net Amount Payable In Figures: **30,28,812**

Net Amount Payable In Words: **Rupees Thirty Lakh Twenty Eight Thousand Eight Hundreds Twelve Only**

Certified that :

1. The Work has been done as per Specifications, Contract Agreement & Drawings found satisfactory.
2. The Payment of this bill is not drawn previously.
3. Bank Details of the Contractor/Supplier has been checked & verified.
4. Nothing is outstanding against Contractor regarding this work.
5. All formalities & observations regarding necessary entries are personally examined.
6. No tools & Plants has been issued to the Contractor.
7. Material has been used by Contractor as per Specifications.

Dated:

Rajkumar
खंडीय लेखाकार
सा०नि०वि० खण्ड छबड़ा

For Use in Divisional Office
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा
डी.डी.ओ. कोड : 9086

Courtesy: https://wam.rajasthan.gov.in (Printed on 1/24/2024 11:30:14 AM)

of DA with seal

Rajkumar
खंडीय लेखाकार
सा०नि०वि० खण्ड छबड़ा

Signature of DO with seal

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा
डी.डी.ओ. कोड : 9086

Courtesy: https://wam.rajasthan.gov.in (Printed on 1/24/2024 11:30:14 AM)

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 23-01-2024

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER PWD DIV CHHABRA
Application No.	6110911432
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/06/35/2015/FC
Location.	RAJASTHAN
Address.	EXECUTIVE ENGINEER, PWD DIV CHHABRABaran
Amount(in Rs)	3028812/-

Amount in Words :Thirty Lakh Twenty-Eight Thousand Eight Hundred and Twelve Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150856110911432 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 23-01-2024

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER PWD DIV CHHABRA
Application No.	6110911432
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/06/35/2015/FC
Location.	RAJASTHAN
Address:	EXECUTIVE ENGINEER, PWD DIV CHHABRA Baran
Amount(in Rs)	3028812/-

Amount in Words :Thirty Lakh Twenty-Eight Thousand Eight Hundred and Twelve Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150856110911432 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Verified for ₹ 3028812/- only

सहायक अभियन्ता
रा०नि०वि०उपखण्ड-I, छबड़ा

Passed for Rs. 30,28,812/- only
(Rs. Thirty lakh Twenty Eight Thousand Eight Hundred Twelve only)
CH. to: 3054 - RBM

अधिशाषी अभियन्ता
रा० नि० वि० खण्ड-छबड़ा

कार्यालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

क्रमांक–एफ–4(5)( )राजस्व/14/5614-20 दिनांक 16.09.2014

–:आदेश:–

अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, बारां द्वारा प्रस्तुत की गई सूची के अनुसार विभिन्न योजनाओं के तहत सड़क निर्माण में आने वाली वन भूमि के एवज में 102.34 है0 गैर वन भूमि आरक्षित किये जाने हेतु मांग की गई है। उक्त प्रयोजनार्थ तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रस्तावित एवं उप वन संरक्षक, बारां के पत्र क्रमांक 14073 दिनांक 12.09.2014 से प्राप्त सहमति के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत निम्नलिखित भूमि वन विभाग को क्षतिपूर्ति के रूप में आरक्षित (सेट–अपार्ट) की जाती है:–

क्र.सं.	तहसील	ग्राम	खसरा न0	रकबा (है0)
1	अन्ता	बिलेण्डी	39	13.20
			41	5.00
			43	6.52
			114	5.80
			115	9.58
			116	7.70
			138	10.81
			149	3.63
			8 किता	62.24
2		सोरसन	1175	19.76
			1173	19.15
			2 किता	38.91
3		ताखा	368	2.25
		कुल योग	11 किता	103.40 है0

नियमानुसार रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(ललित कुमार गुप्ता)
जिला कलक्टर
बारां

क्रमांक–एफ–4(5)( )राजस्व/14/5614-20 दिनांक 16.09.2014

कि–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:

1. उप वन संरक्षक, बारां।
2. प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा अनुभाग, कलक्ट्रेट, बारां।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सा0नि0वि0 वृत, बारां।
4. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0 एन0एच0, बारां।
5. उपखण्ड अधिकारी, अन्ता।
6. तहसीलदार, अन्ता।
7. रक्षित पत्रावली

जिला कलक्टर
बारां

Phone No. 07453-217001, 217003 Fax No. 217004, 217005 Email Id. dm-baran-rj@nic.in

Land to be allotted to Forest Department

PWD circle Baran

As on 11.09.2014

S. No.	Name Of Division	Name Of Tehsil	Name of Scheme	Name of Road	Area to be allotted to Forest Department (in hactare)	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Old Cases						
1	Chhabra	Chipabarod	PMGSY	पाटरी से भटमाद	1.50	
2	Shahbad	Shahbad	PMGSY	मागौनी से मोहनपुर	2.60	
				योग	4.10	
New Cases						
1	Chhabra	Chhabra	5054 / RURAL ROAD	हिंगलोट से मदनाखेड़ी वाया हरिपुरा	3.00	
2	Chhabra	Chhabra	5054/ SHW	कोटा धरनावदा सड़क	13.58	
3	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	खल्दा से खत्दी	0.61	
4	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	बादौली से लाटखेड़ा	3.20	
5	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	मथौपुरा से जैतपुरा	4.00	
6	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	ढिकोनिया से रालायढ़ा	7.50	
7	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	नेहरूपुरा से झिरी	4.00	
8	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	बिथी से रामपुर उपरेटी	2.50	
9	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	एन.एच.–76 किमी. 573/0 से धुआं	2.60	
10	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	रुजपुर से बरारा	0.55	
11	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVII (Missing Link)	गरडा से जैसया	4.00	
12	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVII (RSAMB)	कस्बाथाना से बगनगंवा	5.20	
13	Shahbad	Shahbad	RRSMP	उनी केदारकुई से सिलोरा	3.00	
14	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	ख्यावदा से हरिपुरा	1.00	
15	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	जलयाड़ा से किशनपुरा	3.00	
16	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	गोस्वामपुरा से पट्टा	0.50	
17	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	खण्डेला से हलावनी	2.00	
18	Shahbad	Shahbad	RRSMP	बीलखेड़ा डाग से पाटन	1.00	
19	Shahbad	Shahbad	RRSMP	केदारकुई से मुहाल	7.00	
20	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	भंवरगढ़ से रनवासी	2.50	
21	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	रनवासी से रनवासा	0.80	
22	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	गोस्वामपुरा से कालीमाटी	3.00	
23	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	रामगढ़ काला पट्टा सड़क किमी. 2/500 से करवाला लक्ष्मीपुरा	2.00	
24	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	करपरी खुर्द से रामनदेश	4.20	
25	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	लकड़ाई से मामली वाया दुर्जनपुरा	1.00	
26	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	मामली लक्ष्मीपुरा पटपड़ी सड़क	3.00	
27	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	रुजपुर मुण्डियर सड़क (रामपुर उपरेटी) से इंसाटोरी	4.00	
28	NH Division	Atru	NH	[illegible]	3.20	
29	NH Division	Atru	NH	खेडली माहिया	1.02	
30	NH Division	Atru	NH	सिगनी जागीर	1.21	
31	NH Division	Chipabarod	NH	बरडवाड़ा	0.44	
32	NH Division	Chipabarod	NH	कालपा जागीर	1.66	
33	NH Division	Chipabarod	NH	मथापुरा	4.92	
				योग	98.24	
				कुल योग	102.34	

1. पटारी से मागरी
2. अन्तरोन से बरडवाड़

(सुनील माथुर)
अधिशासी अभियंता
सार्वजनिक पूर्त विभाग

जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां (राजस्थान)

कल दिनांक 3.12.2014 को जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां की बैठक आहूत की गई जिसमें वन क्षेत्र में पड़ने वाली सड़कों के लिये अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता), अधिनियम 2006 में प्रस्तावित वन भूमि जिसके प्रस्ताव ग्राम स्तरीय वनाधिकार समितियों व उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समितियों से इस आशय से प्राप्त हुए है कि इन प्रस्तावित वन भूमियों के अधीन कोई अधिकार पत्र जारी नहीं हुआ है ना ही वर्तमान में कोई दावा लम्बित है। निम्न प्रस्तावों पर बैठक में विचार किया गया।

इन प्रस्तावों के अवलोकन व परीक्षण करने से पाया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि पर उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत ग्राम स्तरीय वनाधिकार समितियों एंव उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समितियों के प्रस्तावो से यह विदित हो चुका है कि निम्न प्रस्तावित वन भूमियों के अधीन कोई अधिकार पत्र जारी नहीं हुआ है ना ही वर्तमान में कोई दावा लम्बित है। अतः प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र(फार्म–1) में प्रमाण पत्र जारी किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

क्र सं	भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्तावित भूमि	वनखण्ड सीमा / नाका	प्रस्तावित भूमि का कुल रकबा (हैक्टर में)	ग्राम स्तरीय वनाधिकार समितियों में प्रस्ताव अनुमोदन दिनांक	उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति में प्रस्ताव अनुमोदन दिनांक
1	कोटा धरनावदा सड़क सी0सी0 निर्माण कार्य ग्राम–चाचौडा कि. मी. 132 / 500 से 134 / 200	छबडा	7.166	18.9.2014	20.10.2014
2	कोटा धरनावदा सड़क निर्माण कि.मी. 134 / 200 से 137 / 500	छबडा	6.418	16.10.2014	20.10.2014
3	हिंगलोट से मदनाखेडी सड़क	छबडा	3.00	9.10.2014	20.10.2014

(रामस्वरूप बडगुर्जर)
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पदेन परियोजना अधिकारी–माडा जिला परिषद,बारां

(सुनिल चिद्री)
उप वन संरक्षक
बारां

(ललित कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष एंव जिला कलक्टर
जिला स्तरीय वनाधिकार समिति,बारां

FORM-1

(for linear projects)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector Baran, Rajasthan

No- 29/2014 Deted- 3 Dec.,2014

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Misnistry of Environment and Forests (MoEF) Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxtion in respect of linear projects, it is certified that **3.00** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Shri Bharat Lal Meena Executive engineer Public Works Department Div.- Chabra** (name of user agency) for **Contruction of Road Work From Hinglot to Madna Kheri** (purpose for diversion of forest land) in **Baran** district falls within jurisdiction of **Pali** village(S) in **Chabra** tehsils.

It is Further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **3.00** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Lavel Committee are enclosed as annexure-(A) to annexure-**(B)**

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section, 3(2) of the FRA have been completed and the Grama sabhas have given their consent to it,

(c) the proposal does not invoive recognised rights of primitive Tribal Groups and pro agricultural Communities.

Encl; As above

Signature

(Lalit Kumar Gupta)
Presedent of District Lavel committees &
Collector & D.M.

(Lalit Kumar Gupta)
Collector & D.M.

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Regional Office (Central Region)
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326096
Email: roz.lko-mef@gov.in, envfrolko@gmail.com

पत्र संख्या: क्षेत्री / राज0 / 06 / 35 / 2015 / एफ.सी. / 857 दिनांक: 03.09.2020

सेवा में,
शासन सचिव(वन),
राजस्थान शासन,
सिविल सचिवालय,
जयपुर, राजस्थान।

Online Proposal No.- FP/RAJ/ROAD/10911/2015

विषय: **Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road from Hinglot to Madnakheri in Rajasthan in Baran Forest Division.**

सन्दर्भ: शासन सचिव, राजस्थान का पत्रांक प.1(74)वन / 2015, जयपुर, दिनांक 20.08.2020.

महोदय,

उपरोक्त विषयक अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, जयपुर के पत्रांक सं0 एफ- 14( )2015 / 4 स / प्रमुवरा / 590 दिनांक 23.07.2018 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गयी थी।

प्रकरण के परीक्षणोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार उपरोक्त विषयांकित परियोजना हेतु कुल 2.27 हे0 संरक्षित वनभूमि के प्रत्यावर्तन एवं बिना वृक्ष पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over to the user agency.
3. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 2.27 ha equivalent non-forest land in (Compartment Khasra No. Not provided, Village Sorsan, Tehsll Anta, District Baran) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.
4. The non-forest land has to be transferred and mutated in favour of the State Forest Department.
5. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.
6. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 2.27 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.01.2008 and 09.05.2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18.09.2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03.10.2006 and 5-3/2007-FC dated 05.02.2009 in this regard.
7. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
8. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
9. User agency shall raise strip plantation on both sides and central verge of the road as per the IRC norms.

Signed with Certificate

[illegible] regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Area / Forest Area.

The user agency shall provide suitable under / over pass in Protected Area / Forest Area as per recommendations of CWLW / NBWL / FAC / REC.

User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.

The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.

The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.

No labour camp shall be established on the forest land.

Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.

No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.

18. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.

19. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.

20. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.

21. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.

22. No violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.

23. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.

24. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through *e-portal (https://parivesh.nic.in/)*.

25. The compliance report shall be uploaded on *e-portal (https://parivesh.nic.in/)*.

After receipt of the compliance report from the State Government on fulfillment of the conditions mentioned above, final stage-II approval of the Central Government, in accordance with Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980, will be accorded.

भवदीया,

(प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. मुख्य वन संरक्षक (एफसी) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, अरण्य भवन, झालाना इंस्टिट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान।
2. उप वन संरक्षक, जिला बारां, राजस्थान।
3. [illegible] अभियन्ता नामनितित [illegible] जिला बारां राजस्थान।
4. [illegible] वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आवश्यक कार्यवाही।

(प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

Scanned with CamScanner

Copy of letter No.F.7 (1263)Sec.II/2008/D. 951 Dated 08-10-08 received from Addl. Secretary to Govt., PWD. Raj. Jaipur addressed to the Chief Engineer, PWD, Rajasthan, Jaipur.

Sub: - Administrative & financial sanction for Construction of road from Hinglot to Madankheri via Haripura, Madankheri in district Baran of Rajasthan under Rural Road during the year 2008-09.

I am directed to convey administrative & financial sanction of the Government for construction of road from Hinglot to Madankheri via Haripura, Madankheri in district Baran of Rajasthan under Rural Roads at an estimated cost of **Rs.259.26 lacs.**

The expenditure will be charged to the Budget Head- "5054-Capital Outlay on Road & Bridges – 04 – Distt. & Other Roads – 800 – Other Expenditure – (02) – Other Road Construction Programme –[01] – Rural Roads - 74 - Construction of Road & Bridges Expenditure (Plan)" and expenditure shall be restricted within the over all Plan Ceiling of Road Sector during the current financial year and subsequent year.

This bears with concurrence of Finance(Exp.III) Deptt., vide I.D. No.1485/ FD(Exp.III)/2008 dated 08.09.2008.

OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER,PWD, RAJASTHAN, JAIPUR.

No.F.7 (1263) Sec.II/2008/D. 958 Dated 08/10/2008

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Addl. Chief Engineer, PWD, Zone – Kota.
2. Superintending Engineer, PWD, Circle – Baran.
3. Executive Engineer, PWD, Dn. Chhabra.
4. PA to CE(R-I)/ SE(R)/ EE(P&M-I to V)/ DDS/ Budget Clerk/ Compilation Clerk/ DA (Plan), CE's Office, PWD, Raj., Jaipur.

In the estimate and all other future reference in regards to this sanction and also while making any expenditure against the sanctioned work and showing the same in monthly accounts of the Division. The Job **No.132/5054/Rural Roads/Plan/2008-09** as assigned may invariably be written against the nomenclature of the sanctioned works.

The sanctioned cost is inclusive of percentage charges.

CHIEF ENGINEER, PWD,
RAJASTHAN, JAIPUR.

A (mad)

भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

क्रमांक: 8बी/राज0/06/35/2015/एफ.सी./857 दिनांक 03.09.2020

सेवा में,
प्रधान सचिव (वन) राजस्थान शासन,
सिविल सचिवालय जयपुर, राजस्थान।

Online Proposal No.-FP/RAJ/ROAD/10911/2015

विषय:- Diversion of 2.27 ha. Of forest land for construction of Hinglot to Madpakheri in Rajasthan in Baran Forest Division.

संदर्भ:- शासन सचिव, राजस्थान का पत्रांक प.1(74) वन/2015, जयपुर दिनांक 20.08.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, जयपुर के पत्रांक प.एफ-14( )2015/प.स./प्रमुवस/590 दिनांक 23.07.2018 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गयी थी।

प्रकरण के परीक्षणोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है, कि केन्द्र सरकार उपरोक्त विषयांकित परियोजना हेतु 2.27 हे0 संरक्षित वनभूमि के प्रत्यावर्तन एवं बिना वृक्ष पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over to the user agency.
3. Compensatory afforestation shall be taken up by the forest Department over 2.27 ha equivalent non-forest land in (Compartment Khasra No. Not provided, Village Sorsan, Tehsil Anta, District Baran) at the cost of the user agency. As far as possible. A mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.
4. The non-forest land has to be transferred and mutated in favour of the State Forest Department.
5. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintined for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.
6. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 2.27 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP(C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.
7. Additional amount of the NPV of the diverted forest land if any becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee. Shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
8. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
9. User agency shall raise strip plantation on both sides and central verge of the road as per the IRC norms.
10. Speed regulating signage will be erected along the road at regular interval in the Protected Areas / Forest Area.
11. The user agency shall provide suitable under over pass in Protected Area / Forest Area as per recommendations of CWLW / NBWL / FAC / REC.
12. User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the Provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
13. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
14. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
15. No labour camp shall be established on the forest land.
16. Sufficient firewood. Preferably the alternate fuel. Shall be provided by the User Agency to the labourers after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source or alternate fuel.
17. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation to construction materials for execution of the project work.
18. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to the be granted in favour of the user agency or the project life. Whichever is less.
19. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
20. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
21. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F.No. 11-42-2017-FC dt 29/01/2018.
22. No violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.
23. Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation protection and development of forests & wildlife.
24. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred / deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/).
25. The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in).

After receipt of the compliance report from the State Government on fulfillment of the conditions stipulated above, final/stage-II approval of the Central Government, in accordance with Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980. Will be accorded.

भवदीय
(डॉ. प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

डीआईपीआर/सी/1781/2022

इनरव्हील क्लब बारॉं ने महिला दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित किया नारी सम्मान समारोह

पैंतरा न्यूज।

बारां 08 मार्च। इनरव्हील क्लब अध्यक्ष चन्दा ठाकुरिया ने बताया कि इनरव्हील क्लब द्वारा आयोजित नारी सम्मान समारोह कार्यक्रम का भव्य शुभारम्भ मंचासीन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इनरव्हील प्रार्थना अंजू नाहर ने लय ताल के साथ प्रस्तुत की। मुख्य अतिथि जिला प्रमुख श्रीमती उर्मिला जैन भाया का स्वागत क्लब अध्यक्ष चंदा ठाकुरिया एवं सचिव विनीता विजय द्वारा किया गया। क्लब अध्यक्ष चन्द ठाकुरिया ने सभी सदस्यों व आगन्तुक मेहमानों का शब्द वन्दन से स्वागत किया।

नारी सम्मान समारोह में सर्वप्रथम श्री पार्श्वनाथ मानव सेवा चेरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्ष श्रीमती उर्मिला जैन को उत्कृष्ट सेवा कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। इसी क्रम में क्लब की चार्टर प्रेसिडेंट ललिता टोंग्या को जिला विधिक की मेम्बर तथा अन्य जैन एवं वैश्य समाज में सामाजिक व सेवा कार्यों के लिए, चित्रा जैन को पारिवारिक न्यायालय एवम अन्य क्षेत्र में, रेखा दाधीच को शिक्षा के क्षेत्र में सेवा कार्य हेतु, रेखा अग्रवाल को गया कार्य में सहयोग हेतु, महिला पुलिस विभाग से उर्मिला स्वामी को निष्ठा पूर्वक कार्य करने पर एवं विमला जैन को आत्मनिर्भर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने पर क्लब द्वारा उपहार, माला, प्रमाण पत्र टियारा पहनाकर, इनरव्हील नारी सम्मान से नवाजा गया। तालों की जोरों से आवाज के साथ सभी मेंबर ने उनका स्वागत किया। महिला दिवस पर अपने वक्तव्य में श्रीमती उर्मिला जैन द्वारा प्राचीनकाल से चली आ रही नारी सम्मान की बात कही। नारी हर क्षेत्र में अपने कार्य का लोहा मनवा चुकी है। भारतीय संस्कृति में हर जगह नारी का सर्वोच्च स्थान है।

इस कार्यक्रम में क्लब सदस्य, बिंदु भाऊ, आराधना ओझा, सीमा अग्रवाल, सुलेखा जैन, मृदुला सोनी, सुनीता वादवेद, द्वारका नागर, दिव्या जैन, नेहा गुप्ता, त्रिशला जैन, प्रेरणा शर्मा, किरण जैन, इंदिरा गालव, सुधा गोयल, नीतू गुप्ता, सीमा सिंह, मधु बंसल, कृष्णा राठौड़, रश्मि सोनी, रजनी गर्ग, सुमन ढोलिया ने नारी सम्मान में सक्रिय भागीदारी निभाकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सचिव विनीता विजय ने सभी मेंबर को धन्यवाद ज्ञापित किया।

जिला माहेश्वरी महिला मंडल ने नर्सिंग महिला कर्मचारियों का किया सम्मान

पैंतरा न्यूज।

बारां 08 मार्च। अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस पर जिला माहेश्वरी महिला मंडल की ओर से मंगलवार को राजकीय चिकित्सालय के ऑपरेशन थियेटर में कार्यरत नर्सिंग महिला कर्मचारी का सम्मान किया गया। नर्सिंग स्टाफ का माला पहनाकर, साड़िया ओढ़ाकर सम्मान किया। क्लब के पदाधिकारियों ने उनके कार्य की बहुत सराहना की। इस कार्य में जिला अध्यक्ष बृजबाला धाकड़, उपाध्यक्ष रेणु राठी, आशा मंत्री, पूजा काबरा, भावना, शिखा भंडारी, अनीता सोमानी व मंजू सोमानी का सहयोग रहा।

जिलाध्यक्ष बृजबाला धाकड़ ने बताया कि क्लब द्वारा त्यौहार व ऐसे अनेक दिवसों पर सामाजिक सेवा का कार्य किया जा रहा है और आगे भी जारी रहेगा।

सर्राफा बाजार बारां में शटर ... ...प्रथम पेज का शेष

...प्रथम पेज का शेष

मीणा द्वारा प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिये। इसपर विजय स्वर्णकार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में मनोज गुप्ता वृताधिकारी वृत बारां के निर्देशन में मांगीलाल पु0नि0 थानाधिकारी थाना कोतवाली एवं सत्येन्द्र सिंह हैड कानि0 277 प्रभारी साईबर सैल बारां की विशेष टीम का गठन किया जाकर माल मुल्जिमान की तलाश पतारसी प्रारम्भ की गई। गठित विशेष टीम द्वारा, अज्ञात माल मुलजिमान की तलाश-पतारसी हेतु मुखबीरों एवं साईबर सैल कि तकनिकी सहायता (विशेष भूमिका) से अनुसंधान किया जाकर टीम द्वारा ... के प्रकरण में मुल्जिमान श्योजीराम उर्फ श्योजी उर्फ पाटीया बागरिया एवं रामावतार उर्फ रामोतार बागरेचा को गिरफ्तार किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया दौराने अनुसंधान सामने आया कि भीलवाड़ा जिला तथा नीमच मध्यप्रदेश में भी चोरी की बड़ी घटना को अंजाम देना भी गिरफ्तार शुदा मुल्जिमान ने स्वीकार किया है। मुलजिमान की सूचना पर चोरी गये लाखों रूपये के सोना-चांदी के जेवरात को बरामद करने में सफलता प्राप्त की गई, अनुसंधान जारी है।

हर घर तक नल' पहुंचाने के ... ...प्रथम पेज का शेष

...प्रथम पेज का शेष

संरक्षण के लिए नई योजनाओं पर कार्य होना चाहिये। विधायक भैयालाल ने जनता जल योजना में गुणवत्तापूर्ण तरीके से कार्य नहीं होने का मामला उठाते हुए कहा कि प्रत्येक गांव का सर्वे कर प्लान तैयार करके यहां केन्द्रीय योजना लागू की जानी चाहिए। विधायक भैयालाल ने जल जीवन मिशन के कार्यों की धीमी गति का मामला उठाते हुए जल जीवन मिशन योजना के कार्य को समयबद्ध पूर्ण करने की मांग रखी। विधायक भैयालाल ने कहा कि अटरू शहर की गैलवा कॉलोनी, ... कॉलोनी, मथुरा, कुन्ज बिहार आदि कॉलोनियों में पेयजल की भारी समस्या है लोगों को काफी दूर जाकर पेयजल लाना पड़ता है। विधायक भैयालाल ने कहा की अटरू में आज से 40 साल पहले पानी की पाइप लाइन डाली गयी थी जनसंख्या के साथ-साथ पेयजल तंत्र का विस्तार नहीं किया गया। इस कारण अटरू में नियमित रूप से पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। उन्होंने अटरू क्षेत्र के लिए नई पेयजल योजना स्वीकृत करने की सरकार के समक्ष मांग रखते हुए परवन वृहद सिंचाई पेयजल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग की।

राजे के जन्मदिन यात्रा की असं...

छबड़ा से बड़ी संख्...

पैंतरा न्यूज।

छबड़ा 08 मार्च। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जन्मदिन पर केशोरायपाटन में आयोजित हुई देवदर्शन यात्रा में छबड़ा से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। भाजपा नगर अध्यक्ष सीपी गेरा ने बताया मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री राजे के जन्मदिन कार्यक्रम में धार्मिक अनुष्ठान में नारायण-... नारायण, ... पुष्प ... सीताराम ... और महाभारत ... भोग्लोक विष्णुसहस्त्रनाम ...

वसुंधरा राजे के जन्मदि... चिकित्सा शिविर...

पैंतरा न्यूज।

कवाई 08 मार्च। राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ, समर्पण संस्था व रक्तकोष फाउंडेशन के संयुक्त सहयोग से अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जन्मदिन अग्रवाल धर्मशाला कवाई में । गुर्दी निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन करके हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।

साथ ही लम्बी उम्र सहित यशस्वी होने की कामना की गई। शिविर प्रभारी सरिता मीणा, समाजसेविका संतोष गोयल ने बताया कि शिविर का शुभारम्भ भारत माता की तस्वीर पर माल्यार्पण करके छबड़ा की पुलिस उपाधीक्षक पूजा नागर व कवाई से डॉ. सावित्री पालीवाल आयुर्वेदिक द्वारा विधि विधान से किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में रक्तकोष फाउंडेशन के राष्ट्रीय संयोजक अनिल मरिट...

पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राजे के ... ...प्रथम पेज का शेष

...प्रथम पेज का शेष

भाजपा का भगवा पवन हवा को आसमान में लहराते हुए 'वसुंधरा राजे जिंदाबाद' के नारे लगाए। श्रीमती राजे ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस के शासन में जिस प्रकार की परिस्थितियां चल रही है उससे आप सब भली भांति परिचित है। ऐसी सरकार के बदलाव की दरकार शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तथा गृहमंत्री अमित शाह आदि की एकजुट रहने की नीति से राष्ट्र मजबूत हुआ है। जिसमें सबका साथ सबका विकास सबसे महत्वपूर्ण है। इन्ही की मेहनत और बेहतर कार्यप्रणाली से आज भाजपा दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी तथा पूर्व उपराष्ट्रपति एवं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भैरोसिंह शेखावत और राजमाता स्वर्गीय विजयाराजे सिंधिया का भी जिक्र किया।

सुरक्षा पखवाड़ा एवं सुरक्षा... ...प्रथम पेज का शेष

...प्रथम पेज का शेष

समिति अटरू, 10 मार्च को पंचायत समिति किशनगंज, 11 मार्च को पंचायत समिति छबड़ा, 14 मार्च को पंचायत समिति छीपाबड़ौद, 15 मार्च को पंचायत समिति बारां, 16 मार्च को पंचायत समिति अन्ता, 21 मार्च को पंचायत समिति शाहबाद एवं 22 मार्च को पंचायत समिति मांगरोल में भर्ती कैम्प का आयोजन किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी शैक्षणिक दस्तावेज सहित संबंधित पंचायत समिति पर उपस्थित हो सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए दूरभाष नम्बर 90798-50906 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

आवश्यकता है।
सुपरवाईजर के कार्य हेतु ... लड़कों की आवश्यकता है। वेतन योग्यतानुसार।
शीघ्र सम्पर्क करें।
94141-90572
94141-82822

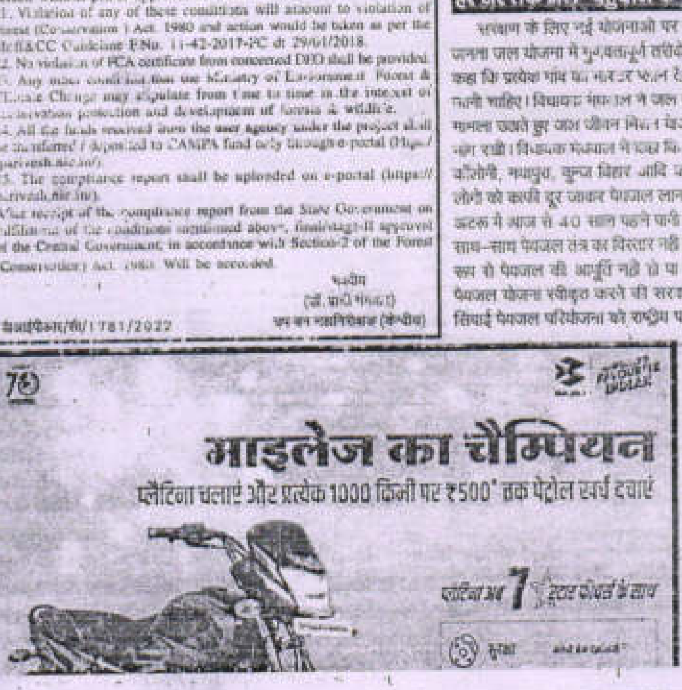

आपके शहर में पुन: आज से शुरू
होटल
लजीज नोनवेज
लजीज डिश
बटर चिकन, मटन भुना, फिश करी, चिकन तन्दूरी, चिकन कोरमा, मटन रहू, किमा कलेजी, स्पेशल अंडा करी, बाटी ..., रोटी-...

आपके ...
चालो
जनता सिनेमा ...

[illegible] property being residential property ... Village Majidpur ... Alwar (Raj.) admeasuring ... with all present and future superstructure ... North : Common way South : ... West : Common way ... situated at within the Sub-Registration District of ...	06-11-2023 & 176421	23-01-2024
[illegible] agriculture property being Residential property ...	24-08-2023 & 162121	23-01-2024
[illegible] ... being Residential Property ... admeasuring area 270 sq. yards / 1890 Sq. ... Sub - Registration District of Kotputli and ...	21-09-2023 & 290000	23-01-2024
[illegible] ... property being Residential Property ... with all present and future superstructure ...	07-09-2023 & 233979	24-01-2024
[illegible] ... Agriculture property being Residential ... Rajasthan, with respect of the said property ... with all present and future superstructure ... under Loan Agreement-cum-Mortgage of the ... within the Sub-Registration District of ...	02-09-2023 & 232986	24-01-2024
All parcels of Non-Agriculture property being Residential Property ... Village ... Tatuk and District, ... admeasuring area 2300 Sq.ft., with all superstructure thereon and bounded on the: North by : ... South by : ... East by : House of ... within the Tatuk ... and Registration District of Sri Ganga Nagar.	02-09-2023 & 220986	24-01-2024
[illegible] ... admeasuring area 1500 Sq.ft., with all present and ... under Loan Agreement-cum-Mortgage of the ... within the Sub-Registration District of Baran and Registration ... Rajasthan	02-09-2023 & 230330	24-01-2024
[illegible] ... Agriculture property being Residential Property ... Gram Panchayat ... admeasuring area 1482 Sq.ft. with all ... Property ... Road, North - Road, South - House of ... Situated at within the Sub-Registration ... District of BARAN	10-10-2023 & 184881	24-01-2024

Authorised officer,
Equitas Small Finance Bank Ltd

Date: 25-01-2024
Place: Jaipur, Alwar (Rajasthan)

Sd/- Authorised Officer
UMI Housing Finance Private Limited

AU SMALL FINANCE BANK LIMITED

(A SCHEDULED COMMERCIAL BANK)

Regd. Office: 19-A, Dhuleshwar Garden, Ajmer Road, Jaipur - 302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

Demand Notice Under Section 13(2) of Securitisation Act of 2002

As the loan account became NPA therefore the Authorised Officer under section 13(2) of "The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002" had issued 60 days demand notice to the Borrower/Co-Borrower/Mortgagor/Guarantors (collectively referred as "Borrowers") as given in the table. According to the notice if the Borrowers do not deposit the entire amount within 60 days, the amount will be recovered from auction of the mortgage properties/secured assets as given below. Therefore you the Borrowers are informed to deposit the entire loan amount along with future interest and expenses within 60 days from the date of demand notice, otherwise under the provisions of 13(4) and 14 of the said Act, the Authorised officer is free to take possession for sale of the mortgage properties/Secured assets as given below.

Borrowers to note that after receipt of this notice, in terms of Section 13(13) of the Act, 2002, you are prohibited and restrained from transferring any of the secured assets by way of sale, lease or otherwise, without prior written consent of the secured creditor.

Borrowers attention are attracted towards Section 13(8) r/w Rule 3(5) of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 Act that the Borrowers shall be entitled to redeem their secured asset upon the payment of the complete outstanding dues as mentioned below before the publication of auction notice, which thereafter shall cease to exist.

Loan A/c No./ Name of the Borrower/ Co-Borrower/ Mortgagor/ Guarantor	Date and Amount of Demand Notice Under Sec. 13(2)	Description of Mortgaged Property
(A/c No.) 9001220[illegible] & 9001220[illegible] M/S. LIMA ENTERPRISES THROUGH IT'S PROPRIETOR MRS. DIPIKA (Borrower), MR. VIJAY KUMAR SAINI S/O MR. RAM NARAYAN SAINI (Co-Borrower), M/S. RAM NARAYAN SAINI S/O MR. LAXMAN (Guarantor/Mortgagor), MRS. GORDHANI BAI W/O MR. RAM NARAYAN SAINI (Guarantor/Mortgagor), MR. MAHENDRA KUMAR S/O MR. RAM NARAYAN SAINI (Guarantor/Mortgagor), MRS. SANTOSH DEVI W/O MR. MAHENDRA KUMAR (Guarantor/Mortgagor)	19-Jan-24 Rs. 9,12,610 + 127,503 = Rs. 10,40,113/- (Rupees Ten Lakh Forty Thousand One Hundred Thirteen Only) As on 19-Jan-24	SCHEDULE OF IMMOVABLE PROPERTIES MORTGAGED:- (1) All that part and parcel of Property/House Situated at Survey No. RAY-384, Rangbari Kachchi Basti, Kota, Rajasthan, admeasuring area 109.66 Sq. yard, Owned by Mrs. Gordhani Bai W/o Mr. Ram Narayan & Mr. Ram Narayan S/o Mr. Laxman. East: House of Raghav Sen, West: House of Rampal Panchal, North: Road & House of Mahendra Kumar Saini, South: House of Mohan Lal Sen (2) All that part and parcel of Property/House Situated at Survey No. RAY-384 1st, Rangbari Kachchi Basti, Kota, Rajasthan, admeasuring area 109.79 Sq. yard, Owned by Mr. Mahendra Kumar S/o Mr. Ram Narayan & Mrs. Santosh W/o Mr. Mahendra Kumar. East: House of Raghav Sen, West: House of Rampal Panchal, North: Road, South: House of Gordhani Bai

Place: KOTA, RAJASTHAN Date : 25-Jan-2024 Authorised Officer AU Small Finance Bank Limited

POSSESSION NOTICE

EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION COMPANY LTD.

CIN: U67100MH2007PLC174759

Retail Central & Regd. Office: Edelweiss House, Off CST Road, Kalina, Mumbai 400098

Whereas, the Authorized Officer of the Secured Creditor mentioned herein, under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Act), 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with (Rule 3) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice as mentioned below calling upon the borrower(s) to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice.

Thereafter, Assignor mentioned herein, has assigned the financial assets to Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited acting in its capacity as trustee of various trusts mentioned under (hereinafter referred as "EARC"). Pursuant to the assignment agreement under Sec 5 of SARFAESI Act, 2002, EARC has stepped into the shoes of the Assignor and all the rights, title and interests of Assignor with respect to the financial assets along with underlying security interests, guarantees, pledges have vested in EARC in respect of the financial assistance availed by the Borrower and EARC exercises all its rights as the secured creditor.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned being the Authorised Officer of Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on the date mentioned against each property.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Edelweiss Asset Reconstruction Company limited for the amount mentioned below and interest thereon.

Sl. No.	Name of Assignor	Name of Trust	Loan Account Number	Borrower Name & Co-Borrower(s) Name	Amount & date of demand Notice	Date of Possession	Possession Status
1.	Piramal Capital & Housing Finance Limited (Formerly Known as DHFL)	EARC TRUST SC-377	47000008[illegible]	M/s Shiv Shankar Fruit Company (Borrower), Mrs. Lavina Devi (Co-Borrower), Mr. Deepak Harwani (Co-Borrower), Mr. Kishore Kumar Harwani (Co-Borrower), Mr. Bhagwan Das Harwani (Co-Borrower), Mr. Jitendra Kumar Harwani (Co-Borrower) and Mrs. Varsha Devi (Co-Borrower)	Rs.4,38,48,810.83/- & 16.06.2023	25-01-2024	Physical Possession

Description of Property :- "ALL THE PIECE AND PARCEL OF PLOT KH NO. 876/3, BLOCK NO. G-1, ADMEASURING AREA 870 SQ. YARDS, IN GRAM SALAWAS, BRAHMNAGAR, TEHSIL LUNI, DIST. JODHPUR, AND BOUNDED ON THE: EAST BY: ROAD 30 FEET, WEST BY: KH NO. 876/1/2, NORTH BY: OTHER LAND & SOUTH BY: OTHER LAND"

Date : 26/01/2024 Place : Jodhpur Sd/ Authorized Officer, Edelweiss Asset Reconstructions Company Limited

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

[illegible] दिनांक: [illegible]

सेवा में,
[illegible]
जयपुर, राजस्थान।

Online Proposal No.-FP/RAJ/ROAD/[illegible]/2015

विषय:- Diversion of 2.27 ha. Of forest land for construction of [illegible] in Rajasthan, in Baran Forest Division.

[illegible]

[illegible]

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over to the user agency.
3. Compensatory afforestation shall be taken up by the forest Department over 2.27 ha. equivalent non-forest land in (Compartment Khasra No. Not provided, Village [illegible], Tehsil Anta, District Baran) at the cost of the user agency. As far as possible, A mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.
4. The non-forest land has to be transferred and mutated in favour of the State Forest Department.
5. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.
6. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 2.27 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in I.A. No. 566 in WP(C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.
7. Additional amount of the NPV of the diverted forest land if any becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee. Shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
8. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
9. User agency shall raise strip plantation on both sides and central verge of the road as per the IRC norms.
10. Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas Forest Area.
11. The user agency shall provide suitable under over pass in Protected Area Forest Area as per recommendations of CWLW/NBWL/FAC/REC.
12. User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the Provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
13. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
14. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
15. No labour camp shall be established on the forest land.
16. Sufficient firewood, Preferably the alternate fuel, Shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
17. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
18. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to the be granted in favour of the user agency or the project life. Whichever is less.
19. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
20. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
21. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.
22. No violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.
23. Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation protection and development of forests & wildlife.
24. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred / deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/).
25. The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).

After receipt of the compliance report from the State Government on fulfillment of the conditions mentioned above, final/stage-II approval of the Central Government, in accordance with Section 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980. Will be accorded.

भवदीय
(डॉ. प्राची [illegible])
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

DIPR/C/1783/2023

[illegible]ANCE BANK LIMITED

[illegible] COMMERCIAL BANK)

[illegible] CIN: L36911RJ1996PLC011381

[illegible] POSSESSION NOTICE

[illegible] Officer of the AU Small Finance [illegible] Bank) under the "Securitisation and [illegible] Enforcement of Security Interest (Act), 2002 [illegible] under Section 13 (12) read with (Rule [illegible] Rules, 2002, issued demand notice dated [illegible] Kumar Bohara (Borrower), Smt. Sarita [illegible] to repay the amount [illegible]/- (Rs. Six Lac Nine Thousand Twenty-One [illegible]) of the said notice.

[illegible] repay the amount, notice is hereby given to [illegible] in general that the undersigned has taken [illegible] below in exercise of powers conferred on [illegible] 13 of Act read with Rule 8 of the Security [illegible] 23 Day of January of the Year 2024.

[illegible] particular and the public in general is hereby [illegible] any dealings with the property will be subject [illegible] Scheduled Commercial Bank) for an [illegible] Nine Thousand Twenty-One Only) as on 13-[illegible] thereon.

[illegible] of sub-section (8) of section 13 of the [illegible] the secured assets.

[illegible]MOVABLE PROPERTIES

[illegible]mercial property Land/ Building/ Structure [illegible] No. H-1-142, Industrial Area Sitara First [illegible] 500 Sq. Mtr. Owned by Sharvan Kumar

West : PLOT NO. H-1-143,
South : PUBLIC ROAD

Sd/-
Authorised Officer
AU Small Finance Bank Limited

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

[illegible]

क्रमांक: [illegible]/क्षे.का. जोधपुर/पी.एस.-26/[illegible] दिनांक .../.../2024

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

1. [illegible] Ref.No. 20191000010039 [illegible] 441/92 व 441/97 [illegible] 1.2202 हेक्टेयर [illegible] 133236 [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible] 14/09/2006 [illegible]
4. [illegible]

[illegible]

[illegible] 26.02.2024 [illegible]

(शिल्पी शर्मा) क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

[illegible]

[illegible]/क्षे.का. जोधपुर/पी.एस.-27/3493 दिनांक: 25/01/2024

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

1. [illegible] Ref.No. 20191000010035 [illegible] 441/92 व 441/1 [illegible] 1.2777 हेक्टेयर [illegible] 118756 [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible] 14/09/2006 [illegible]
4. [illegible]

[illegible]

[illegible] 26.02.2024 [illegible]

(शिल्पी शर्मा) क्षेत्रीय अधिकारी

Jaipur

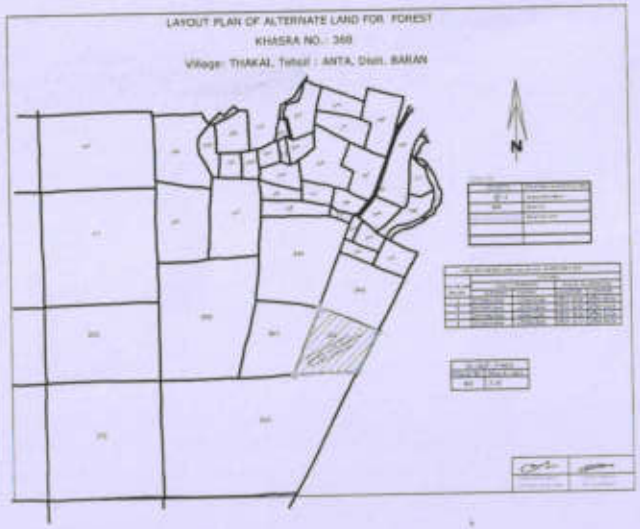
LAYOUT PLAN OF ALTERNATE LAND FOR FOREST
KHASRA NO.: 368
Village: THAKAL, Tehsil : ANTA, Distt. BARAN
N

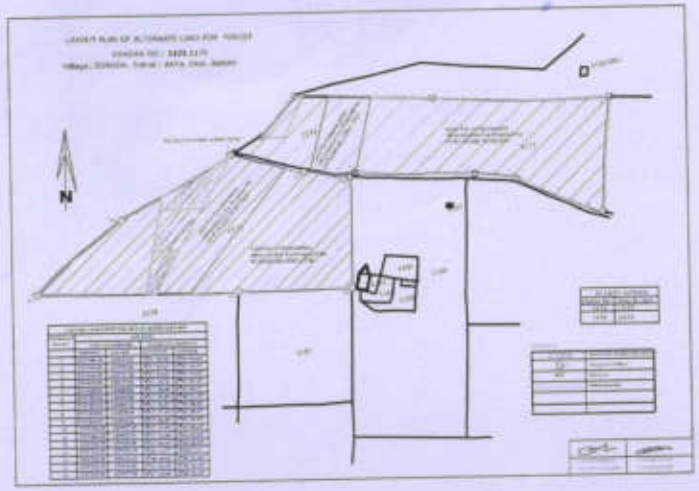
N

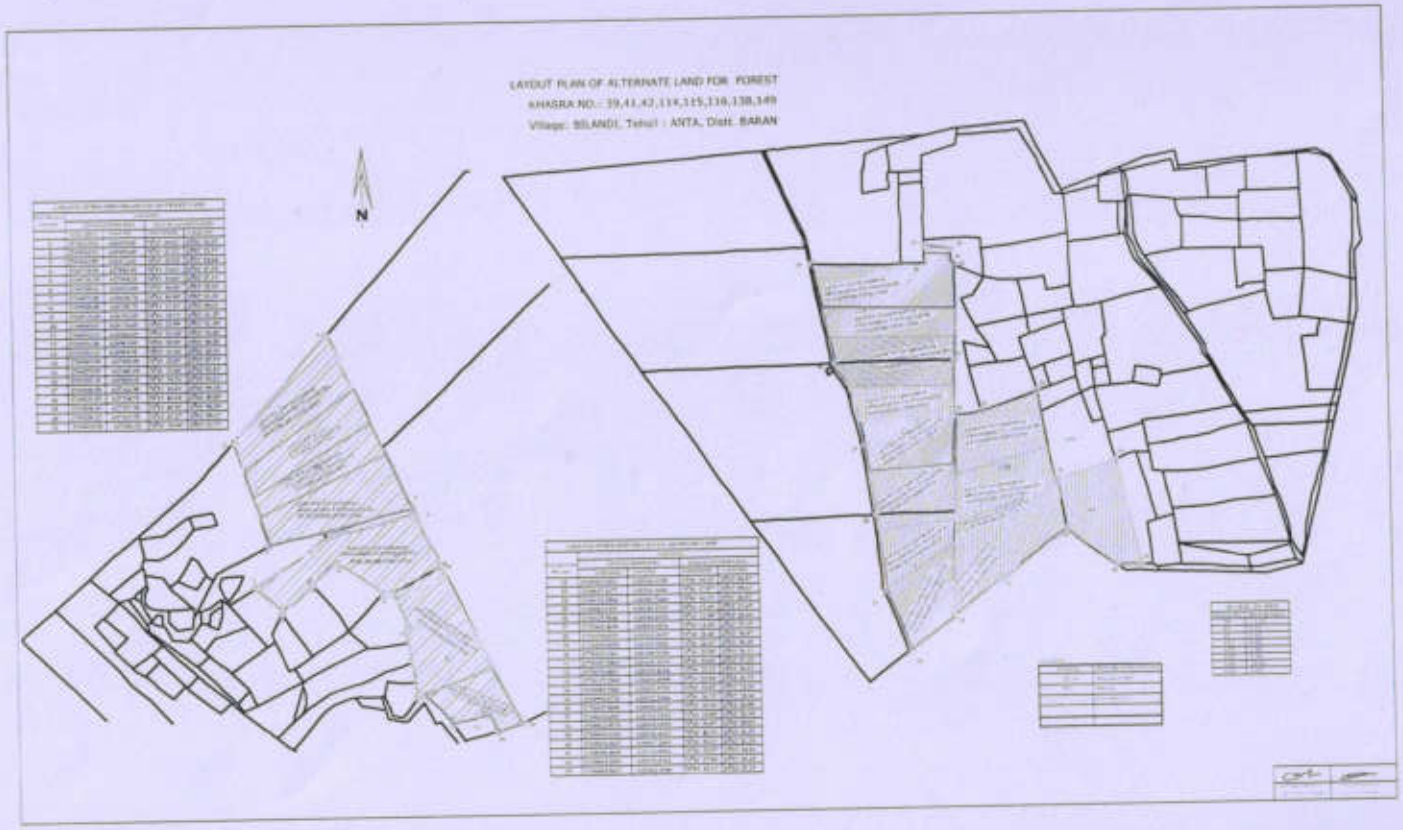
LAYOUT PLAN OF ALTERNATE LAND FOR FOREST
KHASRA NO.: 39,41,42,114,115,116,138,149
Village: BILANDI, Tehsil : ANTA, Distt. BARAN
N

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, अन्ता

प्रमाणित किया जाता है कि विभिन्न सड़क परियोजनाओं के अन्तर्गत जिला कलक्टर बारां द्वारा आदेश क्रमांक 229-26 दिनांक 07.02.2017 से निम्नानुसार वर वनभूमि (103.40 हे0) वन विभाग के नाम आवंटित की गई है।

तहसील अन्ता ग्राम सोरसन की निम्नसारणी अनुसार वर्णित वैर वनभूमि मौके पर कब्जा हेतु उपयुक्त है यह वनभूमि से लगता है इसमें किसी प्रकार का कोई मौखिकभाग एवं व्यापारिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है यह सगरत वैर वनभूमि सूचना फलकों से इस कार्यालय द्वारा मौके पर जाकर सम्भाल ली गई है।

क्र.सं.	तहसील	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हैक्टर)
1		सोरसन	1175	19.76
			1173	19.15
		योग	2 किता	38.91

हस्तान्तर जमीन का चार्ज लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1. वनरक्षक
2. वनपाल प्रभारी
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी [redacted] वन अधिकारी [redacted] जि0 बारां

हस्तान्तर जमीन का चार्ज देने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1. पटवारी
2. कानूनगो

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारां

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारां

(अशोक [illegible])
अधिशासी अभियन्ता
[illegible] जि. डि. खण्ड [illegible]

LAYOUT PLAN OF ALTERNATE LAND FOR FOREST

KHASRA NO.: 39,41,42,114,115,116,138,149 (Village: BILANDI) KHASRA NO.:1173,1175 (Village: SORSON) KHASRA NO.: 368 (Village: THAKA)

Tehsil : ANTA, Distt. BARAN

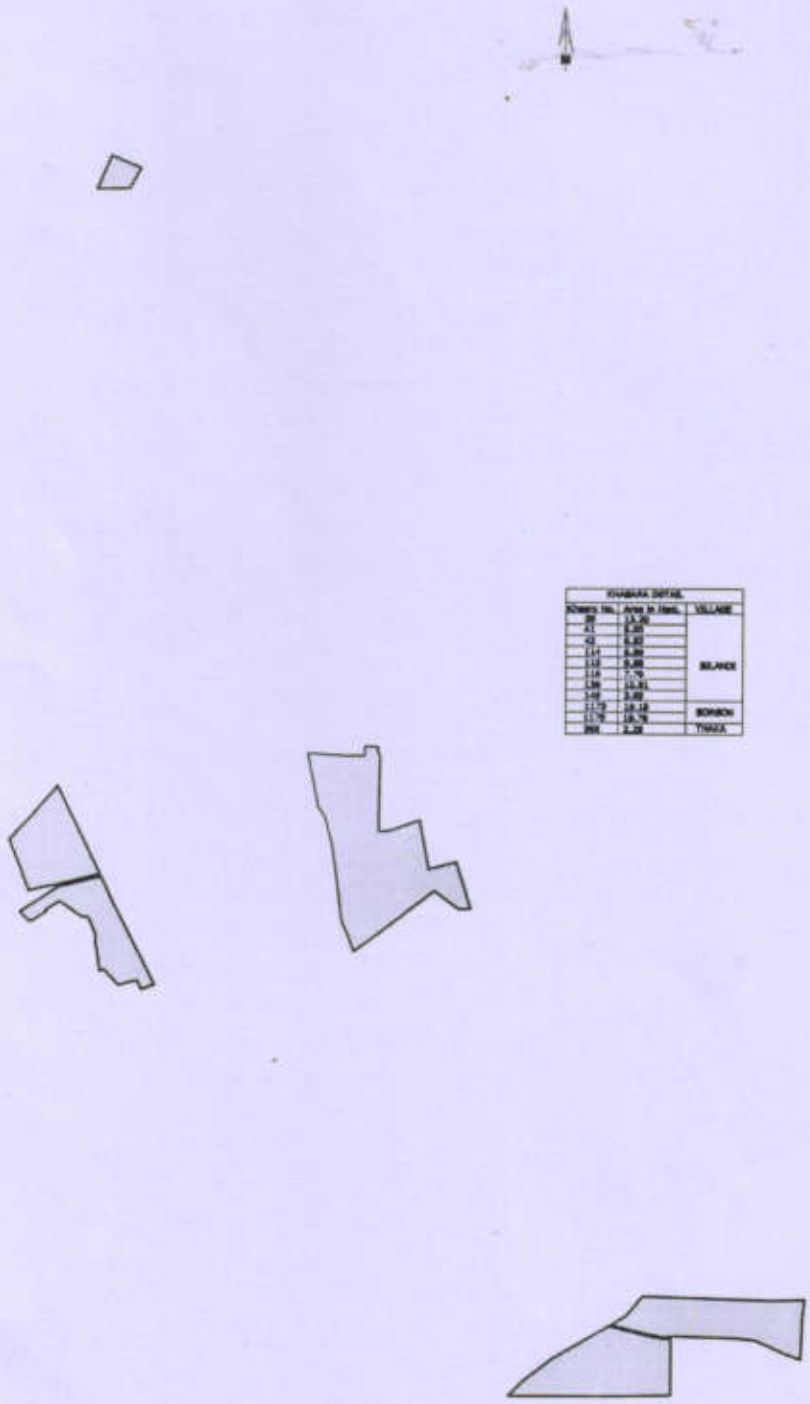

KHASRA DETAIL		
Khasra No.	Area in Hect.	VILLAGE
39	13.00	BILANDI
41	2.00	
42	6.00	
114	5.00	
115	5.00	
116	5.00	
138	7.75	
149	13.01	
1173	3.00	
1175	10.12	SORSON
368	16.75	THAKA
	3.38	

Compressor Free Version

Revised Certificate Order 29/14 Dated 3-12-2014

FORM-1

(for linear projects)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector Baran, Rajasthan

No- 4/2016 Deted- 25 Jan.,2016

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Misnistry of Environment and Forests (MoEF) Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxtion in respect of linear projects, it is certified that 2.27 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Shri Mukesh Gupta Executive engineer Public Works Department Div.-Chabra (name of user agency) for Contruction of Road Work From Hinglot to Madna Kheri (purpose for diversion of forest land) in Baran district falls within jurisdiction of Pali village(S) in Chabra tehsils.

It is Further certified that:

(d) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.27 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure-(A) to annexure-(C)

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section, 3(2) of the FRA have been completed and the Grama sabhas have given their consent to it,

(f) the proposal does not involve recognised rights of primitive Tribal Groups and pro agricultural Communities.

Encl; As above

Signature

(Lalit Kumar Gupta)
Presedent of District Level committees &
District Collector, Baran
अध्यक्ष एवं जिला कलक्टर
जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां

PDF Compressor Free Version

आज दिनांक 05/11/2015 को ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसमे वन क्षेत्र मे आने वाली सड़क हिंगलोट से मदनाखेड़ी जो वन विभाग की भूमि से गुजर रही है, वर्तमान में बन्द है उसके निर्माण हेतु ग्राम सभा में वन भूमि मे सड़क निर्माण हेतु प्रस्ताव लिया गया तथा सर्वसम्मति से सड़क के निर्माण की अति आवश्यकता बताई गई एवम् किसी भी सदस्य को वन क्षेत्र मे सड़क बनाने में कोई आपत्ति नही है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारियो को मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) के एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर कोई अधिकार पत्र जारी नही हुआ है। ना ही वर्तमान में कोई लम्बित है। इस वन भूमि पर किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार नही दिया गया है ना ही कोई दावा वर्तमान मे विचाराधीन है। उक्त प्रस्ताव ग्राम सभा के रजिस्टर में क्रमांक 14,15 पर इन्द्राज है तथा ग्राम सभा मे 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों द्वारा उपस्थिति दर्ज कराई गई। अतः सर्वसम्मति से उक्त सड़क को उक्त प्रस्तावित वन भूमि में निर्माण हेतु अभिशंषा की जाती है।

वन विभाग की भूमि का विवरण

खसरा नं	क्षेत्रफल	मौके का नाम
229	0.17 Hect	हिंगलोट
227	0.40 Hect	हिंगलोट
161	0.07 Hect	बिशनखेड़ा चैन
345	0.57 Hect	बिशनखेड़ा चैन
346	0.41 Hect	बिशनखेड़ा चैन
176	0.26 Hect	मदनाखेड़ी
167/588	0.39 Hect	मदनाखेड़ी
Total	2.27 Hect	

सरपंच ग्राम पंचायत
ग्राम पंचायत पाल
पं. स. पेटलावद जिला झाबुआ (म.प्र.)

सचिव
ग्राम पंचायत
पंचायत समिति पेटलावद
पंचायत समिति पेटलावद जिला झाबुआ

PDF Compressor Free Version

(14)

बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर

G. P.

पंचायत / ग्राम उप समिति ..... पाली ..... पंचायत समिति .... जिला ..... धौलपुर

क्रम संख्या	बैठक का स्थान	उपस्थित सदस्यों एवं नाम	बैठक की कार्यवाही का विवरण	बैठक से उत्पन्न लागतों का ब्यौरा
1	2	3	4	5
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PDF Compressor Free Version

(15)

बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर

G. P. 11

न्याय पंचायत समिति ..... पंचायत समिति ..... जिला ..... वर्ष .....

क्रम संख्या	बैठक / सम्मेलन का नाम	उपस्थित सदस्यों का नाम	बैठक की कार्यवाही का विवरण	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1	2	4	5	6
			प्रस्ताव संख्या 1 बैठक कार्यवाही के पूर्व ग्राम पंचायत महेश्वरा कार्य सहायक-द्वारा शिक्षकगण भारत शिक्षा के तहत ग्राम पंचायत की ओर से आयोजित ई-पाठशाला कार्य करने में असमर्थता पायी गई जिसके प्रत्येक माह की प्रगतिरिपोर्ट तक उपस्थिति बनाकर एम.डी.एम. की जानकारी दिया। आज जब उपलब्ध कराने की प्रेरणा में असमर्थता पायी गई / भविष्य में नहीं आवे इसके लिए पत्र द्वारा दूसरे पक्षों को मांग किया जाये। सहायक आवश्यकता में पालन किया गया। इस बैठक कार्यवाही को उपस्थित सदस्यों ने सम्मत होकर हस्ताक्षर किया गया। तत्पश्चात बैठक कार्यवाही समाप्त की गई।	[illegible]

सचिव
पंचायत समिति
[illegible]

सरपंच
ग्राम पंचायत [illegible]
वि.ख. [illegible] (म.प्र.)

r Compressor Free Version

आज दिनांक 16/11/2015 को उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आहूत की गई जिसमें ग्राम स्तरीय वनाधिकर कमैटी से वन क्षेत्र में पडने वाली सड़क हिंगलोट से मदनाखेड़ी के लिए प्राप्त प्रस्ताव ..... जिसका ग्राम स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है, उसको उपखण्ड स्तरीय कमैटी द्वारा अनुमोदित कर जिला स्तरीय कमैटी हेतु प्रेषित करने का अनुमोदन किया जाता है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारियों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) के एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर कोई अधिकर पत्र जारी नही हुआ है, ना ही वर्तमान में कोई लम्बित है। अतः सर्वसम्मति से उक्त सड़क को उक्त प्रस्तावित वन भूमि में निर्माण हेतु अभिशंषा की जाती है।

वन विभाग की भूमि का विवरण : ग्राम पंचायत पाली

खसरा नं.	क्षेत्रफल	गाँव का नाम
229	0.17 Hect	हिंगलोट
227	0.40 Hect	हिंगलोट
161	0.07 Hect	बिशनखेड़ा चैना
345	0.57 Hect	बिशनखेड़ा चैना
346	0.41 Hect	बिशनखेड़ा चैना
178	0.26 Hect	मदनखेड़ी
167/586	0.39 Hect	मदनखेड़ी
Total	2.27 Hect	

उप उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)
उपखण्ड छबड़ा

क्षेत्रीय वन अधिकारी
छबड़ा

विकास अधिकारी
पं.स. छबड़ा।

सहायक वन संरक्षक
दीपावली

जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां(राज.) का बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 25.1.2016

आज दिनांक 25.1.2016 को जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां की बैठक आहूत की गई जिसमें जिला बारां क्षेत्र में वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु जल संसाधन विभाग खण्ड द्वितीय छबड़ा के प्रस्ताव ल्हासी मध्यम सिंचाई परियोजना से प्रभावित डूब क्षेत्र एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड,छबड़ा के पूर्व अनुशंसित प्रस्ताव संख्या– 27/14 व 28/14 का सम्मिलित प्रस्ताव एवं 29/14 पारित दिनांक 3.12.2014 में संशोधन किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(2) के तहत प्रस्ताव प्राप्त हुए है। उक्त सभी प्रस्ताव ग्राम स्तरीय वनाधिकार समितियों व उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समितियों, पी.बडौदा/छबड़ा से अनुमोदन होकर प्राप्त हुये है। इन प्रस्तावित वन भूमि पर कोई अधिकार पत्र जारी नही हुआ है ना ही वर्तमान में कोई दावा लम्बित है, उक्त प्रस्तावों पर बैठक में विचार किया गया।

इन प्रस्तावों के अवलोकन व परीक्षण करने से पाया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि पर उक्त अधिनियम के प्रावधानो के तहत ग्राम स्तरीय वनाधिकार समितियों एवं उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समितियों से अनापत्ति प्राप्त हुई है। उक्त प्रस्तावित वन भूमियों के अधीन कोई अधिकार पत्र जारी नहीं हुआ है ना ही वर्तमान में कोई दावा लम्बित है। फलस्वरूप अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड द्वितीय,छबड़ा से प्राप्त ल्हासी मध्यम सिंचाई परियोजना से प्रभावित वन भूमि कुल 185.00 है0 की उक्त अधिनियम की धारा 3(2) के तहत प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की जाती है। साथ अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड छबड़ा द्वारा पूर्व में अनुशंसित प्रस्ताव संख्या 27/14 दिनांक 3.12.2014 में प्रस्तावित वन भूमि रकबा 7.166 है0 के स्थान पर 8.969 है0, प्रस्ताव संख्या 28/14 दिनांक 3.12.2014 में प्रस्तावित वन भूमि रकबा 8.413 है0 के स्थान पर 8.589 है0 एवं प्रस्ताव संख्या 29/14 दिनांक 3.12.2014 में प्रस्तावित वन भूमि रकबा 3.00 है0 के स्थान पर 2.27 है0 की अनुशंसा की जाती है। उक्त प्रस्तावों के अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता), अधिनियम 2006 की धारा 3(2) के तहत निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र पृथक से जारी है।

1– अधिशाषी अभियंता, जलसंसाधन विभाग खण्ड द्वितीय छबड़ा–

क्र.सं0	यूजर एजेन्सी का नाम	प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि का प्रयोजन	वनखण्ड सीमा/नाका	प्रस्तावित भूमि का कुल रकबा (हैक्टर में)	ग्राम स्तरीय वनाधिकार समितियों के नाम व प्रस्ताव अनुमोदन दिनांक		उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति में प्रस्ताव अनुमोदन दिनांक
1	अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड द्वितीय,छबड़ा	ल्हासी मध्यम सिंचाई परियोजना से प्रभावित क्षेत्र हेतु	अनडानी	140.00 हैक्टयर	दीगोद खालसा	5.12.2015	22.12.2015
			सेतकोलू	45.00 हैक्टयर	सेतकोलू	5.12.2015	
				योग 185.00 हैक्टयर			

अध्यक्ष–एवं जिला कलक्टर
जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां

DCF Baran
उप वन संरक्षक
बारां

अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदेन
परि० अधि०–सदस्य जिला परिषद, बारां

25/1/016
जिला स्तरीय वनाधिकार समिति

Compressor Free Version

2– अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड छबड़ा–

क्र० सं०	यूजर एजेन्सी का नाम	प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि का प्रयोजन	पूर्व में पारित प्रस्ताव		प्रस्तावित भूमि का विवरण		संशोधित प्रस्ताव हेतु ग्राम स्तरीय वनाधिकार समितियों की अनुमोदन दिनांक	संशोधित प्रस्ताव हेतु उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समितियों की अनुमोदन दिनांक
			प्रस्ताव सं०	दिनांक	पूर्व में प्रस्ता. रकबा	संशोधित रकबा		
1	अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड छबड़ा	कोटा बरनावदा सड़क किमी. 132/500 से 134/200	27/2014	3.12.2014	7.166 है०	6.969 है०	बरौंडा (15.10.2015)	10.11.2015
2.	अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड छबड़ा	कोटा बरनावदा सड़क किमी. 134/200 से 137/500	28/2014	3.12.2014	6.416 है०	6.593 है०	भीलवाड़ा नीचा (8.10.2015)	10.11.2015
3.	अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड छबड़ा	हेमलोट से मदनाखेड़ी सड़क	29/2014	3.12.2014	3.00 है०	2.27 है०	नाली (5.11.2015)	10.11.2015

(ललित कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष एवं जिला कलक्टर
जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां

(सुनिल चिंदी)
उप वन संरक्षक
बारां

अध्यक्ष एवं जिला कलक्टर
जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां

उप वन संरक्षक
बारां

(महेश चन्द परेवा)
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पदेन परियोजना अधिकारी–माडा जिला परिषद, बारां

अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदेन
परि० अधि०–माडा जिला परिषद, बारां

25/11/016
(निर्मला मीणा)
सदस्य जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां

Compressor Free Version